Article Date	Headline / Summary	Publication
5 Jan 2024	Different rates of the same health policy! Why less in small cities and more in Delhi-Mumbai? Even the agent won't tell	News18

एक ही हेल्थ पॉलिसी के अलग-अलग रेट! छोटे शहर में कम तो दिल्ली-मुंबई में ज्यादा क्यों? एजेंट भी नहीं बताएगा

एक ही हेल्थ पॉलिसी के अलग-अलग रेट! छोटे शहर में कम तो दिल्ली-मुंबई में ज्यादा क्यों? एजेंट भी नहीं बताएगा

नई दिल्ली. कोरोनाकाल के बाद देश में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी (Health Insurance Policy) की डिमांड काफी बढ़ गई है. आंकड़े बताते हैं कि अब पॉलिसी की बिक्री दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है. आप भी हेल्थ पॉलिसी यूज करते होंगे लेकिन यह बात कम लोगों को ही पता होगी कि आप एक जैसी पॉलिसी छोटे शहर में खरीदते हैं तो उसका प्रीमियम कम पड़ता है, जबकि दिल्ली-मुंबई जैसे महानगर में यही पॉलिसी खरीदने पर आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं. आखिर कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं और इसके पीछे क्या लॉजिक है.

बजाज अलायंज जनरल इंश्योरेंस के हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन टीम के हेड भास्कर नरूरकर का कहना है कि बीमा कंपनियों ने जोनल कोटा बना रखा है और इसके हिसाब से ही अपने इंश्योरेंस का प्रीमियम तय करती हैं. पहले छोटे शहर और बड़े शहर में समान रूप से हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम रहता था, लेकिन कोरोना महामारी के बाद इसमें काफी बदलाव आया है. जोन के हिसाब से पॉलिसी के प्रीमियम में 3 से 10 हजार रुपये का अंतर आ सकता है.

क्यों होता है प्रीमियम में अंतर

भास्कर नरूरकर का कहना है कि कोरोनाकाल के बाद देश में इलाज के खर्च में बहुत अंतर आ गया है. आप देखेंगे कि टीयर-2 या टीयर-3 सिटीज में उसी बीमारी के इलाज का खर्च दिल्ली, मुंबई जैसे महानगर के मुकाबले 50 फीसदी तक सस्ता रहता है. कंपनियां अपने प्रीमियम को खर्च के हिसाब से ही तय करती हैं. जाहिर है कि अगर बड़े शहर के हिसाब से एकसमान प्रीमियम रहेगा तो छोटे शहर के लोगों को अपने खर्च के मुकाबले ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा. इसी तरह, प्रीमियम कम होने पर बड़े शहर में खर्च का बोझ कंपनी पर पड़ेगा. इस विरोधाभास से बचने के लिए बीमा कंपनियों ने जोनल कोटा बनाया और जोन के हिसाब से प्रीमियम वसूलना शुरू किया है.

क्या छोटे शहर की पॉलिसी पर दिल्ली में होगा इलाज

ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी व्यक्ति ने आगरा जैसे टीयर-3 सिटी में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है तो उस पर दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहर में इलाज करा सकता है. भास्कर ने बताया कि पॉलिसी देश में कहीं भी खरीदी हो, उसका इस्तेमाल देश के किसी भी कोने में किया जा सकता है. लेकिन, इस तरह के मामले में कंपनियां क्लेम अमाउंट में कुछ राशि काट लेती हैं. ऐसे में बीमाधारक को इलाज का खर्चा तो मिलता है, लेकिन जोन के हिसाब से उन्हें कुछ पैसों का भुगतान खुद करना पड़ता है.

क्लेम पर कितना पड़ेगा असर

भास्कर के अनुसार, कंपनियों ने 3 प्रमुख जोन बना रखे हैं और उसी हिसाब से जोनल कोटा लगता है. जोन ए में देश के 12 शहर आते हैं. इसमें दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई जैसे महानगर शामिल हैं. जोन बी में देश के राज्यों की राजधानियों को शामिल किया गया है, जबकि जोन सी में टीयर-3 शहरों का नाम शामिल है. इस जोन के हिसाब से पॉसिसी का प्रीमियम भी कम होता जाता है, जबकि उस पर सुविधाएं समान रूप से मिलती हैं.

अब मान लीजिए किसी ने जोन सी में रहते हुए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है और उसने अपना इलाज दिल्ली, मुंबई जैसे किसी बड़े शहर में कराया है. ऐसे में बीमा कंपनियां क्लेम के भुगतान में 10 से 20 फीसदी कटौती कर देती हैं और इसका भुगतान बीमाधारक को करना पड़ता है. इसी तरह, जोन बी की पॉलिसी पर जोन ए में इलाज करा रहे हैं तो क्लेम भुगतान में 5 से 10 फीसदी राशि ग्राहक को चुकानी होगी.